Facilities and Assistance to Women Self Help Groups

77 (14/14/465) SMT. NAINA SINGH CHAUTALA (Badhra):

Will the Development & Panchayats Minister be pleased to state the facilities and assistance being provided by the Government to women self-help groups in State together with the details thereof?

DEVENDER SINGH BABLI, DEVELOPMENT AND PANCHAYATS MINISTER

Sir,

Under the **Deendayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM)** financial assistance in form of Revolving Fund (RF) @Rs. 20,000/- per Self Help Group and Community Investment Fund (CIF) @ Rs. 50,000/- per Self Help Group is provided through Village Organisation/Cluster Level Federation to them.

In addition to this, trainings are provided to the members of Self Help Group to build their capacities for running their Self Help Group and for financial management. To initiate livelihood activities, skill trainings are also imparted as per the need of the members. All Self Help Groups, where half of the members have income less than Rs.1,80,000/- per year are eligible for Interest subvention on the loans taken by them.

महिला स्वयं सहायता समूह को सुविधाएं सहायता

77 (14/14/465) श्रीमती नैना सिंह चौटाला (बाढड़ा)

क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बताएंगे कि राज्य में सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह को क्या सुविधाएं तथा सहायता उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा उसका ब्यौरा क्या है?

देवेंद्र सिंह बबली, विकास एवं पंचायत मंत्री

श्रीमान,

दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत उन्हें परिक्रामी राशि @ 20,000 रुपये प्रति स्वयं सहायता समूह और सामुदायिक निवेश कोष @ 50,000 रुपये प्रति स्वयं सहायता समूह को वित्तीय सहायता ग्राम संगठन/क्लस्टर स्तरीय संघ के माध्यम से प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को स्वयं सहायता समूह चलाने व वित्तीय प्रबंधन हेतु उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। समूह के सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार आजीविका गतिविधियों को शुरू करने के लिए कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है। सभी स्वयं सहायता समूह, जिनके आधे सदस्यों की प्रतिवर्ष आय 1,80,000/- रुपये से कम है , उनके द्वारा लिए गये ऋणों पर वे समूह ब्याज पर अनुदान के पात्र हैं।